आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

वाद संख्या–S.A.R.- 20/2007-08

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71 (A)

(1) मंगल मुण्डा, पे०–स्व० बाक्ता मुण्डा,
(2) कुन्दन मुण्डा, पे०–स्व० भगत मुण्डा, दोनों सा० आचुडीह,
थाना–तमाड़, जिला–राँची।.....**आवेदक / प्रथम पक्ष।**

बनाम

(1) फागु मुण्डा, पे०–स्व० ठाकुर मुण्डा,
(2) श्याम मुण्डा, पे०–स्व० ठाकुर मुण्डा,
(3) ठाकुर मुण्डा, पे०–स्व० सोहराई मुण्डा,
(4) मुण्डा मुण्डा, पे०–स्व० बान मुण्डा, सभी सा० आचुडीह,
थाना–तमाड़, जिला–राँची।.....**विपक्षी / द्वितीय पक्ष।**

आदेश

29.12.2020

प्रस्तुत वाद में उपसमाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के ज्ञापांक–1519(ii) दिनांक–13 / 06 / 2017 द्वारा प्रतिप्रेषित (Remanded Back) उपायुक्त, राँची के न्यायालय का एस०ए०आर० अपील वाद सं०–261 R 15 / 2014–15 में पारित आदेश की प्रति के आलोक में उभय पक्ष को पुनः सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गयी।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खेवट सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा(ए०)
आचुडीह	तमाड़	233	06	05	171	0.46
					173	0.60
					180	0.02
				64	288 / 214	0.95

प्रथम पक्ष कारण पृच्छाः–

प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। वे अपने कारण पृच्छा में कहते हैं कि उपरोक्त वाद में दिनांक–15 / 06 / 2013 को पारित आदेशानुसार आवेदक का आवेदन स्वीकृत किया गया है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा दिनांक–27 / 08 / 2014 को आवेदक–मंगल सिंह मुण्डा पिता स्व० बाक्ता मुण्डा को उपरोक्त भूमि पर दखल देहानी दिलाया गया। आवेदक उपरोक्त भूमि का वैध स्वत्व के साथ वास्तविक मालिक है। उपरोक्त भूमि को आवेदक के पूर्वज बुल मुण्डारी पिता सुखराम मुण्डारी , ग्राम–आचुडीह थाना–तमाड़, द्वारा दिनांक–11 / 04 / 1945 ई० को निबंधित विक्रय पट्टा सं०–2497 द्वारा विक्रेता मो० राधा मुण्डाईन पति सुकू मुण्डा से क्रय किया किया गया है जिसके आलोक में अंचल कार्यालय, तमाड़ में दाखिल खारिज भी हो चुका है एवं फलस्वरूप बुल मुण्डा एवं वर्त्तमान में आवेदक के नाम से लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है। हाल ही में NEW DRAFT SURVEY बंडा पर्चा में बाक्ता मुण्डा पिता बुल मुण्डा एक हिस्सा वो भोटन मुण्डा पिता गुरूवा मुण्डा एक हिस्सा साकिन आचुडीह कायमी रैयत के रूप में एवं भोटन मुण्डा नावल्द मृत दर्शाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राज्य द्वारा बाक्ता मुण्डा पिता स्व० बुल मुण्डा के नाम से पर भूमि पास बुक देकर रैयत स्थपित किया गया है। छो०का०अधि० की धारा–46 का उल्लंघन कर रैयती भूमि पर कोई भी दखलकार नहीं हो सकता है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

द्वितीय पक्ष फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कथित भूमि पर दावा करते हैं। जो कि अस्वीकृत योग्य है। दिनांक–01.01.1946 के पूर्व छो०का०अधि० की धारा–46 के तहत भूमि बिक्री हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ऐसी स्थिति में दिनांक–11.04.1945 को निष्पादित निबंधित विक्रय पट्टा पूर्णतः वैध है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

<u>द्वितीय पक्ष कारण पृच्छाः–</u>

द्वितीय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। वे अपने कारण पृच्छा में कहते हैं कि आवेदक कथित भूमि पर निबंधित विक्रय पत्र दिनांक–11/04/1945 के आधार पर दावा करते हैं। वर्त्तमान में आवेदक का आवेदन अपरिपोषणीय है एवं अस्वीकृत करने योग्य है क्योंकि निबंधित विक्रय पत्र दिनांक–11/04/1945 के विक्रेता राधा रानी मुण्डाईन पति सुकू मुण्डा है और खतियानी रैयत प्रधान मुण्डा सुकू मुण्डा का पुत्र है जो कि वर्ष 1944–45 में नावल्द मृत हो गए। द्वितीय पक्ष बन्न मुण्डा पिता सुकू मुण्डा के वंशज हैं। और मुण्डारी कस्टमरी लॉ के अनुसार मुण्डा स्त्री को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकारी एवं विरासत के आधार पर प्राप्त अचल सम्पत्तियों पर वास्तविक दावा वो अधिकार नहीं होता है। एक विधवा और अविवाहित पुत्री को केवल जीवन यापन तक ही दावा वो अधिकार होता है। उनको भूमि अंतरण का अधिकार नहीं होता है। बन्न मुण्डा खतियानी रैयत प्रधान मुण्डा का भाई था। छो०का०अधि० की धारा–23 के तहत खतियानी रैयत के नावल्द होने की स्थिति में उनकी सम्पत्ति उनके नजदीकी सगोत्र (Agnate) बन्न मुण्डा में सम्मिलित हो जाती है। इस तरह राधा रानी मुण्डाईन द्वारा निष्पादित निबंधित विक्रय पत्र अवैध है।

यह कि आवेदक द्वारा भू–वापसी आवेदन दायर करने समय यह तथ्य छुपाया गया है कि पूर्व में कथित भूमि पर ही ठाकुर मुण्डा (वर्त्तमान द्वितीय पक्ष सं०–01 एवं 02 के पिता) एवं बक्ता मुण्डा (वर्त्तमान आवेदक सं०–01 एवं 02 के पिता) के बीच चले एस०ए०आर० वाद सं०–518/1976–77 के विरूद्ध एस०ए०आर० अपील वाद सं०–225/36 R 15/1977–78 में दिनांक–08/02/1986 को पारित आदेशानुसार बक्ता मुण्डा को क्षतिपूर्ति मुआवजा भुगतान किया गया है। इस तरह कथित भूमि पर ही वही पक्ष को 26 वर्षों बाद छो०का०अधि० की धारा–71 के तहत भू–वापसी का वाद दायर करना सिविल प्रक्रीया संहित की धारा–11 के तहत पूर्वनिर्णीत (Resjudicata) अन्तर्गत आता है एवं परिसीमा अधिनियम के तहत काल अवरोध हो गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेजों तथा उपायुक्त, राँची के न्यायालय का एस०ए०आर० अपील वाद सं०–261 R 15/2014–15 में पारित आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कथित भूमि को आवेदक के पूर्वज द्वारा निबंधित विक्रय पत्र द्वारा दिनांक–11/04/1945 को क्रय किए जाने एवं तदोपरांत दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त किए जाने के आधार पर आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर दावा कर रहे हैं। कथित भूमि को लेकर ही पूर्व में भी ठाकुर मुण्डा (वर्त्तमान द्वितीय पक्ष सं०–01 एवं 02 के पिता) एवं बाक्ता मुण्डा (वर्त्तमान आवेदक सं०–01 के पिता) के बीच एस०ए०आर० वाद सं०–518/1976–77 मुकदमा चला है, ऐसी स्थिति में यह वाद पूर्वनिर्णित (Res judicata) के अन्तर्गत आता है, जिसमें दुबारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक के द्वारा भू–वापसी हेतु दायर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.24 11:34:03 +05:30
Location: 10.93.79.7

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू राँची।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू राँची।

LRDC order SAR
SAR cases